



राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक

51 / करौली 2003-04

यह प्रमाणित किया जाता है कि डा. वि. वि. वि. संस्था
करौली पंचायत समिति जिला करौली का राजस्थान
संस्था राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958)
के अन्तर्गत राजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 26/05 माह मई सन् 2003 को करौली
में दिया।



राजिस्ट्रार संस्थाएं
जिला-करौली
राजिस्ट्रार संस्थाएं
करौली

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

DAANG VIKAS SASTHAN



26/12/2003
Permanent Account Number
AABTD1935C

Signature



भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
केन्द्रीय राजस्व भवन, रावतभाटा रोड, कोटा
Office of the
Commissioner of Income Tax
Central Revenue Building, Rawatbhata Road,
Kota

आवेदनकर्ता का नाम	डांग विकास संस्थान, सब्जी मण्डी, पदम तालाब, करौली।
स्थाई खाता संख्या	AADTD1935C
आदेश की दिनांक	13.05.2010

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अधीन न्यास/संस्था का पंजीकरण

प्रार्थी जो सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार संस्थाएँ, करौली द्वारा दिनांक 26.12.2003 को पंजीकृत है, ने निर्धारित प्रारूप फार्म न.10ए में आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 12एए के अधीन पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2010 को प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 01.04.2009 से दिया जाता है जो कि उक्त दिनांक से ही प्रभावी होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा 12एए के अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में क्रम संख्या 23/05 पर दर्ज कर लिया गया है।

पंजीकरण निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

- (1) भविष्य में यदि यह सिद्ध होता है कि ट्रस्ट/संस्था ने धोखे या मिथ्याकथन के आधार पर पंजीयन प्राप्त किया है तो पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा।
- (2) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए(3) में वर्णित परिस्थितियों के अधीन कभी भी पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा।
- (3) ट्रस्ट/संस्था अपने मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों पर दूरी से स्पष्टया दिखाई दिये जाने वाला अपना द्विभाषी नाम पट्ट लगवाये जिस पर आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत होने की सूचना लिखित हो तथा संस्था में सहायता ग्रहण करने सम्बन्धी अर्हताएं तथा संस्था का उद्देश्य परोपकारी होने सम्बन्धी सूचना का भी दिग्दर्शन किया जावे।

उपरोक्त सभी शर्तों की पालना करते हुए इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में प्रमाण सहित सूचित करें।

ह.
(एम.के.इदानी)
आयकर आयुक्त
कोटा

क्रमांक आ.आ./आ.अ.(तक.)/कोटा/12एए/2010-11/ 452

दिनांक: 13.05.2010

प्रतिलिपी:-

- 1/ अध्यक्ष/न्यासी डांग विकास संस्थान, सब्जी मण्डी, पदम तालाब, करौली।
2. अपर आयकर आयुक्त, रेंज- सवाईमाधोपुर।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड-3, सवाईमाधोपुर।

(धन सिंह मीना)
आयकर अधिकारी (तक.)
कृते आयकर आयुक्त, कोटा।



भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
केन्द्रीय राजस्व भवन, रावतभाटा रोड, कोटा
GOVERNMENT OF INDIA
Office of the
Commissioner of Income Tax
Central Revenue Building, Rawatbhata Road,
Kota

दिनांक: 23.06.2011

विषय:- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी(5) के अधीन छूट

डांग विकास संस्थान, सब्जीमण्डी, करौली, PAN-AAABTD1935C दिये गये दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी(5) के अधीन उक्त धारा में विहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे।

प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 22.12.2010 से दिया जाता है जो कि उक्त दिनांक से ही प्रभावी होगा।

पंजीकरण निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक को स्पष्ट रूप से अंकित किये जावें।
2. आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं चिठ्ठा उस आयकर अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो, को सालाना प्रस्तुत किये जावें।
3. यदि संस्था के संविधान/गठन में कोई संशोधन किया जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे।
4. संस्था को दिए गए दान के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80जी(5) के प्रावधानों/शर्तों/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे।
5. इस प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त संस्था को अपने कर निर्धारण के समय उसके द्वारा किये गये खर्चों की छूट तब ही प्राप्त होगी जब निर्धारिती (संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार पुण्यार्थ है और धारा 11, 12, 12ए(ए) तथा धारा 13 में उल्लेखित शर्तें पूरी करती हो।



ह.
(पी.के.शर्मा)
आयकर आयुक्त
कोटा

क्रमांक आ.आ./आ.अ.(तक)/कोटा/80जी(5)/2011-12/ 978

दिनांक 20.06.2011

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष/न्यासी डांग विकास संस्थान, सब्जीमण्डी, करौली।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज- सवाईमाधोपुर।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड-3, सवाईमाधोपुर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि भविष्य में जब कभी भी उपरोक्त संस्था द्वारा आयकर अधिनियम एवं नियमों की पालना नहीं की जा रही हो/उल्लंघन किया जा रहा हो तो वे स्वयं इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें।

(बी.एल. गुप्ता)
आयकर अधिकारी (तक.)
कृते आयकर आयुक्त, कोटा।